



न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार , आर.जे.एस.

जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 143/2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 41/2026, आरक्षी केन्द्र बालोतरा

CNR : RJBA010005732026

हनुमानराम पुत्र लादुराम विश्नोई, उम्र 32 वर्ष, निवासी डाबली नाडी पादरु, पुलिस थाना सिवाना, जिला बालोतरा ।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य।

– अप्रार्थी

जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 41/2026,
पुलिस थाना बालोतरा, अपराध अंतर्गत धारा 303(2)
भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थित :-

1. श्री शम्भूसिंह राजपूत, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

-- आदेश --

दिनांक : 02.04.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी । अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी ।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे संदेह के आधार पर संलिप्त किया है । प्रार्थी से कोई बरामदगी नहीं हुई है । आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित है । पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है । प्रार्थी दिनांक 01.03.2026 से अभिरक्षा में है । प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में



समय लगने की संभावना है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवारी की बोलेरो पिकअप नंबर आर जे 39 जीए 1862 चुराकर ले जाने का आरोप है। प्रार्थी व अन्य ने मिलकर चोरी की है, जिनमें सहअभियुक्त शैतानराम अभ्यस्त अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व के 29 प्रकरण दर्ज होकर लंबित है, जिनमें से 27 प्रकरण चोरी से संबंधित दर्ज है। प्रार्थी के विरुद्ध अन्य अपराधियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में चोरी के अपराधों को अंजाम देने का आरोप है। प्रार्थी को जमानत की सुविधा दिए जाने से उसके पुनः अपराध में संलिप्त होने की पूर्ण संभावना है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त हनुमानराम का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है:-

क्र. सं.	मुकदमा नं. व धारा	पुलिस थाना	चालान दिनांक	वर्तमान स्थिति
1.	106/2015, धारा 379 भा.दं.सं.	कोतवाली बाडमेर	320/31.12.2015	कोर्ट पैण्डिंग

5. उभय पक्षकारान की ओर से दिये गये तर्कों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी के विरुद्ध अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवारी का वाहन बोलेरो पिकअप नंबर आर जे 39 जीए 1862 चोरी कर ले जाने का आरोप है। अनुसंधान पत्रावली व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी के कब्जे से चुराया हुआ वाहन बरामद नहीं होना बताया गया है। यद्यपि केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी के साथ घटना में सम्पृक्त शैतानराम के विरुद्ध कुल 29 प्रकरण दर्ज होकर लंबित है, जिनमें से 27 प्रकरण चोरी से संबंधित दर्ज होकर लंबित होना बताया गया है परन्तु प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व का एक ही प्रकरण दर्ज होकर लंबित होना बताया है तथा प्रार्थी से बरामदगी होना भी नहीं बताई गई है। प्रार्थी दिनांक 01.03.2026 से अभिराक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। अतः इन तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।



--:: आदेश ::--

6. अतः प्रार्थी/अभियुक्त हनुमानराम की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थिति बाबत पच्चीस हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं पच्चीस हजार रुपये की मौतबीर जमानत अधिनस्थ न्यायालय के सन्तोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाए, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(एम.आर. सुथार)

सेशन न्यायाधीश,

बालोतरा

7. आदेश आज दिनांक 02.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(एम.आर. सुथार)

सेशन न्यायाधीश,

बालोतरा